सामति की क्रमश : 1983 और 1984 में एक -एक बैठक हुई थी ।

(ख) सरकारी काम-काज में हिन्दी का प्रगामी प्रयोग सुनिश्चित करने के लिये मंत्रालय में हिन्दी टाइपराइटरों तथा हिन्दी कर्मचारियों की व्यवस्था की गई हैं । लेकिन, इस समय मंत्रालय में हिन्दी टेलीप्रिन्टर, टेलेक्स, कम्प्यूटर और इलेक्ट्रानिक टाइपराइटरों की सुविधायें नहीं हैं ।

(ग) मंत्रालय के रोजमर्रा के सरकारी काम-काज में हिन्दी का प्रयोग बढाने के लिये भरसक प्रयास किये जा रहे हैं । इस कार्य से संबंधित वार्षिक कार्यक्रम मंत्रालय के सभी कार्यालयों को भेजा जा चुका हैं और समय समय पर उसकी प्रगति की समीक्षा की जाती है । नियमों में की गई व्यवस्था के अनुसार सामान्य आदेश द्विभाषी रूप में जारी करना सुनिश्चित करने के लिये मंत्रालय में जांच बिन्दु बने हुए हैं । यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि हिन्दी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिन्दी में ही किया जाये । वानिकी, डेयरी, मृदा संरक्षण आदि जैसे विभिन्न विषयों पर हिन्दी की शब्दावलियों तैयार करके परिचालित की गई हैं । इसी प्रकार, हिन्दी का प्रयोग सुविधाजनक बनाने के लिये मानक मसौदों का अनुवाद किया गया हैं और सहायक साहित्य वितरित किया गया हैं । हिन्दी के प्रयोग के बारे में प्रगति रिपोर्टों को समय समय पर समीक्षा की जाती हैं । ऐसी समीक्षा राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में की जाती है ।

मध्य प्रदेश से नये साप्ताहिक पत्रों का प्रकाशन

706. **श्री प्यारेलाल खंडेलवाल :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश से नये साप्ताहिक और दैनिक पत्रों के प्रकाशन के लिए पहली जनवरी, 1985 से अक्तूबर, 1985 तक की अवधि के दौरान कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं, और

(ख) इनमें से ऐसे आवेदनों की संख्या कितनी है जिनके संबंध में इस समय तक पत्रों के नामों का अनुमोदन किया जा चुका है और आवेदकों को आपने पत्र प्रकाशित करने की अनुमति दी जा चुकी है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) 1 जनवरी, 1985 से 31 अक्तूबर 1985 तक की अवधि के दौरान मध्य प्रदेश के प्रकाशन के लिए भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक के कार्यालय में 544 आवेदन पत्र (74 दैनिक पत्र और 470 साप्ताहिक पत्र) प्राप्त हुए थे ।

(ख) उपरोक्त में से 23, दैनिक पत्रों और 175 साप्ताहिक पत्रों के बारे में 198 शीर्षकों को पहले ही मंजूरी प्रदान की जा चुकी है ।

भारत में फीचर फिल्म बनाने वाले विदेशी

707. **श्री प्यारेलाल खंडेलवाल :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत में फीचर फिल्म बनाने वाले विदेशियों के क्या नाम हैं और उन्हें फीचर फिल्में बनाने की अनुमति से संबंधित शर्तों का ब्यौरा क्या है ; ऐसी फिल्मों की संख्या कितनी है तथा उन्हें प्रदान की गई सुविधाओं का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : गत तीन वर्षों के दौरान विदेशियों द्वारा भारत में कुल मिलाकर 18 फीचर फिल्मों की शूटिंग किए जाने की अनुमति दी गई है । ब्यौरा (विवरण –1) में दिया गया है, (नीचे देखिये)

जिन शर्तों के अंतर्गत उन्हें फिल्में बनाने की अनुमति दी जाती है तथा उनको जो सुविधाएं दी जाती हैं, वे विवरण–2 में दी गई हैं ।

विवरण- 1

(1) इयोन प्रोडक्शन्स लिमिटेड, लंदन की "ओवरोपूस्सी।

(2) पोलिश फिल्म यूनिट, इलज्जोन की "टेबल्स आफ स्टोन्स"।

(3) सन इंटरनेशनल फिल्म टोकियों, जापान की "दि चंद्र।

(4) सुथा पिक्चर्स कारपोरेशन, अमरीका की "रूक्सात"।

(5) मर्चेन्ट आइवोरी प्रोडक्शन, लंदन की "दि डिसीवर्स"।

(6) मैसर्स ओरियन्टल हैरिटेज ट्रस्ट, नई दिल्ली तथा पर्सपोलिस प्रोडक्शन इन्क, संयुक्त राज्य अमरीका का सह-निर्माण "ए क्वेस्ट फार जाराथुस्ट्रा"।

(7) कोलजेन प्रोडक्शन, लंदन की ("दि रेजर्स ऐज)"।

(8) बंगला देश के मैससे चितरंजन तथा शक्ति फिल्मस, बम्बई की "आकाश"।

(9) एम.आर.निक गिफोर्ड, लंदन की "फैलर बाई दि नेम आफ"।

(10) मैसर्स बेंट वाकर टी.वी. प्रोडक्शन लिमिटेड लंदन की "माऊंट-बैटन दि लास्ट वायसराय"।

(11) मैसर्स स्टोफेन वीक्स कम्पनी, ब्रिटेन की "बंगाल लैंसायर्स"।

(12) मैसर्स जोन्स कैन्नर पिक्चर्स लिमिटेड, न्यूयार्क की दि स्नो लेपार्ड"।

(13) हेमीस्फीयर प्रोडक्शन लिमिटेड, लंदन की "लास्ट रूबी एंड दि अगली प्रिस"।

(14) "पैसेज टु इंडिया"।

(15) "एन्टाइटिल्ड"-रियाज फिल्मस तथा संयुक्त राज्य अमरीका के अल्टरटस लारसन के बीच सहनिर्माण"।

(16) कोपनहेगन के श्री अरुण ढूंडाबे की "जीएन्स अंकल"।

(17) फाल्कन प्रोडक्शन लिमिटेड मद्रास तथा मैसर्स अल्कैमल फिल्मस लिमिटेड, बैंकाक की प्रोडक्शन नं० 1

(18) लंदन मूवीज की "घर जवाई"

विवरण—2

फिल्म बनाने वाले को दी जाने वाली सुविधाएं

सूचना और प्रसारण मंत्रालय उपकरणों के आयात के लिए उनके मामले की विदेश मंत्रालय का विदेशी कार्मियों के बीमा की अनुमति के लिए गृह मंत्रालय को, सभी प्रकार की रक्षा सहायता के लिए रक्षा मंत्रालय को, स्थानीय सुविधाओं के लिए विभिन्न राज्य प्राधिकरयों को, ऐतिहासिक स्मारकों की शूटिंग के लिए पुरातत्व विभाग को पर्यटन विभाग तथा पर्यावरण विभाग को अनुशंसा करता है। हम एक सम्पर्क अधिकारी भी नियुक्त करते हैं जो शूटिंग की मानिटरिंग करने के अलावा फिल्म यूनिट का परिचय स्थानीय प्राधिकारियों से करवाता है।

708. SHRI DINKARRAO GOVINDRAO PATIL: Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state:

(a) whether the Super Bazar mobile vans are sent to rural areas of Delhi for checking price rise of essential commodities;

(b) if so, the names of villages where the mobile vans were sent during the last three months and the dates on which these were sent; and

(c) if the answers to parts (a) and (b) above be in the negative, what steps Government are taking to send such vans to rural areas of Delhi?